

वेद्य किंग  
15/12/21

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 20/1/22 को पेश हो।

आज्ञा से

रीडर

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 05/1/22 को पेश हो।

आज्ञा से  
रीडर

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
है/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/1/23 को पेश हो।

आज्ञा से

रीडर

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पितासीन  
अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें  
है/अन्य राजकीय में व्यस्त है/अतः अवकाश  
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/1/23 को पेश हो।

आज्ञा से  
रीडर

नायालय

नम्बर - 55/2021

लाजारास पिता मांगी लाल

- 1- मांगी लाल पिता धन्ना बलाई
- 2- नाथु पिता उगमा बलाई
- 3- माधु पिता उगमा बलाई
- 4- रघुवीर सिंह पिता
- 5- राम...

21/4/23

05/2/22

24/1/23

13/1/23

पत्रावली पेश हुई, वकील यागीर उर्फ,  
पत्रावली के विपरीत की विधिवत नमिल  
के बावजूद कोई उफर नहीं, अतः एक  
परीक्षक कामवादी काल में लायी गयी है  
वकील यागीर की कदम सुनी गयी पत्रावली  
स्वीकार की गयी है। निर्णय प्रपत्र के  
लिखवापस गमा  
पत्रावली के कदम सुकार को नमिल  
के कदम को।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 55/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- लालाराम पिता मांगी लाल बलाई निवासी मूशी तहसील बनेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- मांगी लाल पिता धन्ना बलाई निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 2- नाथु पिता उगमा बलाई निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 3- माधु पिता बख्तावर चमान, निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 4- रघुवीर सिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 5- रामप्रसाद पिता दुदा बलाई निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 6- सम्पत सिंह पिता कालु सिंह भण्डारी निवासी मूशी तहसील बनेड़ा
- 7- तहसीलदार बनेड़ा।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- कृष्ण कुमार जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 13/09/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. पुराना 445 खाता सं. नया 544 के आराजी नम्बर 941 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 943 रकबा 0.3288 है0, आराजी नं. 944 रकबा 0.7714 है0 कुल किता 3 रकबा 1.3784 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. पुराना 445 खाता सं. नया 544 के आराजी नम्बर 941 रकबा 0.2782 है0, आ0न0 943 रकबा 0.3288 है0, आराजी नं. 944 रकबा 0.7714 है0 कुल किता 3 रकबा 1.3784 है0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से

अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझा है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान रोड सेक्ट 30-31 पुराना 10/10 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मुशी पटवार हल्का मुशी मूअनिरीक्षक क्षेत्र उपरेडा तहसील बनेडा में स्थित खाता सं. पुराना 445 खाता सं. नया 544 के आराजी नम्बर 944 रकबा 0.7714 है, आराजी 943 रकबा 0.3288 है, आराजी नं. 944 रकबा 0.7714 है। कुल कित्ता 3 रकबा 1.8716 है। भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये मूअनिरीक्षक उपरेडा को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर निरुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त की जाये। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जाये अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पता चले कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कदम चालने हेतु इत्तेना है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जाये। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचारधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जाये। अतः मूअनिरीक्षक उपरेडा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेडा को पालना हेतु लिखा जाये। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जाये। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जाये।

निर्णय आज दिनांक 13-09-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(निर्वाही)  
उपरेडा अधिकारी  
बनेडा जिला शाहपुरा